निविदा सूचना

वर्ष 2023 लीसा फसल, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि टौन्स वन प्रभाग, पुरोला की पुरोला, सिंगतूर, सान्द्रा, देवता एवं कोटीगाड रेंजों के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्रों में वर्ष 2023 लीसा फसल हेतु लीसा गढान व जंगल से मोटर मार्ग डिपो तक ढुलान कार्य हेतु प्रभाग में पंजीकृत ठेकेदारों/लीसा मेटों से महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड की ओर से उप वन संरक्षक, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला के नाम दिनांक 02 फरवरी 2023 को अपराह्न 1.00 बजे तक मुहरबन्द निविदायें पंजीकृत डाक से आमन्त्रित की जाती है। यह सभी निविदायें दिनांक 02 फरवरी 2023 को अपराह्न 3:00 बजे प्रभागीय कार्यालय पुरोला में अधोहस्ताक्षरी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। निविदा फार्म अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस मे टेण्डर नोटिस जारी होने की तिथि से दिनांक 31 जनवरी 2023 के प्रातः 5:00 बजे तक 500/– प्रति फार्म तथा इस मूल्य पर 12 प्रतिशत जी0एस0टी0/एस0जी0एस0टी0 की अतिरिक्त नकद धनराशि जमा करने पर क्रय किये जा सकते हैं। इच्छुक निविदादाता निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं। निविदा की विस्तृत शर्ते वन विभाग की वेबसाइट www.forest.uk.gov.in तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

निविदा की शर्ते

1. लीसा फसल 2023 के लीसा गढान/ढुलान के कार्य का अनुमोदन/स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के पश्चात ही लीसा मेटों को इस कार्यालय द्वारा लीसा गढान/ढुलान का कार्यादेश दिया जायेगा। इसके पश्चात ही लीसा मेट को लीसा कूपों में कार्य प्रारम्भ करना होगा। उच्च स्तर से स्वीकृति न मिलने की दशा में विक्रय किये गये टेण्डर फार्मो का मूल्य एवं अन्य देयकर किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
2. लीसा कूपों में घावों की संख्या कूप हेतु निर्धारित लीसा आमद मोटर रोड डिपो का नाम तथा कूप से मोटर रोड डिपो तक की दूरी का विवरण संलग्न अनुसूची में कूप वार अंकित है। निविदादाता द्वारा कूपों को भली–भाँति देख कर व समझ कर ही निविदा देनी होगी। बाद में किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।
3. निविदा के लिफाफे पर "टेण्डर बावत लीसा गढान तथा ढुलान वर्ष 2023 फसल तथा उस कूप की सं0" लिखा होना आवश्यक है, जिसके लिए टेण्डर भरा जा रहा है। एक लिफाफे मे एक ही निविदा स्वीकार होगी एक से अधिक निविदाएं एक लिफाफे में प्राप्त होने पर निविदाएं स्वीकार नही की जायेगी।
4. टेण्डर के साथ प्रत्येक कूप के लिए मु0 5000/– रू0 (पाँच हजार) राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/एफ0डी0आर0 के रूप में जो अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित हो टेण्डर के साथ प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र चालू वित्तीय वर्ष का होना अनिवार्य है। पुरानी जमानत मान्य नही होगी। निविदा प्रतिभूति के अभाव में टेण्डर स्वीकार नही किया जायेगा।
5. निविदा उसी व्यक्ति के नाम, जिसका रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में वर्ष 2023 लीसा फसल के लिए होनी चाहिए। इसके इतर निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी। किसी कम्पनी के द्वारा निविदा देने पर उसे अपने रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति सलग्न करनी होगी।
6. निविदा प्रति कुन्तल की दर से दी जायेगी।
7. निविदा पत्र पर दर अंकित करने के उपरान्त उस पर सैलो टेप चिपका दें। ओवर राईटिंग की हुई निविदा पर विचार नही किया जायेगा। लीसा टिपान व ढुलान कार्य हेतु विगत वर्ष के लीसा मेट को वरीयता दी जायेगी। <u>नये निविदादाता को कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।</u>
8. कूप आवंटन समिति द्वारा किसी कूप के आवंटन कर दिये जाने के उपरान्त चयनित टेण्डरदाता द्वारा प्रतिज्ञा पत्र आदि न भरने एवं कूप की जमानत जमा न करने पर निविदा प्रतिभूति जफ्त कर दी जायेगी।
9. सफल टेण्डरदाताओ को लीसा गढान, ढुलान की शर्तो (जो टेण्डर का ही एक भाग है) का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. स्वीकृत टेण्डर के टेण्डरदाता को जमानत व प्रतिज्ञा पत्र भरकर कार्यादेश के उपरान्त कूप में तत्काल कार्य प्रारम्भ करना होगा। कूप मे समय से कार्य प्रारम्भ न होने पर कूप के जमानत की धनराशि जफ्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा कूप को विभागीय रूप से लीसा टिपान कराया जायेगा तथा इस सम्बन्ध मे कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नही होगा।
11. टेण्डरदाता द्वारा कूप की विभागीय दर से 20 प्रतिशत से अधिक की कमी के टेण्डर दर दिये जाने पर लीसा गढान में लगे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के क्रम मे चयन समिति को ऐसे टेण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
12. लीसा मेट को कूप आवंटन होने की तिथि से तीन दिन के भीतर कूप के गढान मूल्य का निर्धारित 10 प्रतिशत जमानत जमा करते हुए अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने होंगे। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जमानत की धनराशि बढाई जा सकती है जिस पर सम्बन्धित लीसा मेट की कोई आपत्ति स्वीकार नही की जायेगी। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा लिखित कार्यादेश से कार्य प्रारम्भ न करना तथा अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर/निर्धारित जमानत जमा न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा व निविदा प्रतिभूति जफ्त कर ली जायेगी। टेण्डर शर्तो व अनुबन्ध पत्र मे दिये गये नियमो/शर्तो का पालन करना होगा, जिसका अवलोकन उनके द्वारा टेण्डर देने से पूर्व कर लेना चाहिए बाद में किसी भी विषय में कोई शिकायत मान्य नही होगी।
13. सशर्त टेण्डर स्वीकार नही किया जायेगा।
14. लीसा कूपों का आवंटन लीसा कूप आवंटन समिति द्वारा किया जायेगा। लीसा कूप आवंटन समिति कम या उच्च किसी भी टेण्डर को तथा समस्त टेण्डरों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत कर सकती है। जिसके लिए समिति कोई कारण बताने को बाध्य नही होगी। समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी कूप को वर्ष 2023 हेतु बन्द कर सकती है। लीसा कूप आवंटन समिति को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी कूप के टेण्डरदाता की दरों को स्वीकार करे अथवा विभागीय कूप दर पर इस कूप को आवंटित कर दे। उक्त समिति का निर्णय टेण्डरदाताओं पर बाध्यकारी होगा।

Scanned with OKEN Scanner

15. अर्थदण्ड का निर्धारण प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा किया जायेगा, जो लीसा मेट को मान्य होगा।

16. सामान्यतः एक लीसा मेट को एक ही कूप आवंटन किया जायेगा। एक से अधिक कूपों के लिए निविदाएं प्राप्त होने पर कार्यकुशलता व क्षमता के आधार पर विचार किया जायेगा।

17. लीसा कूप आवंटन समिति का निर्णय अन्तिम होगा, जो टेण्डरदाता को मान्य होगा।

18. वह व्यक्ति/ठेकेदार लीसा गढान एंव ढुलान हेतु टेण्डर डाल सकते हैं, जिनका वर्ष 2023 लीसा फसल हेतु पंजीकरण/नवीनीकरण इस वन प्रभाग मे हो।

19. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त लीसा कूप आवंटन समिति अपने स्तर से लीसा मेट चयन हेतु मार्गदर्शक नियम/शर्ते निर्धारित कर सकती है। जो टेण्डरदाता को स्वीकार होगी।

20. लीसा गढान/ढुलान कार्य आदि का भुगतान होने पर नियमानुसार देय करो की कटौती की जायेगी, जो लीसा मेट को मान्य होगी। सम्बन्धित लीसा मेट को जी0एस0टी0/पैन नम्बर/बैंक खाता संख्या/आई0एफ0सी0कोड/मोबाईल नम्बर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा ततपश्चात ही भुगतान करना सम्भव होगा।

(सुबोध कुमार काला)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।

कार्यालय उप वन संरक्षक, टौंस वन प्रभाग, पुरोला (उत्तरकाशी)

E-mail-dfo-tons@yahoo.in.Phone/Fax-01373-223328

पत्रांक 2134/18-3 पुरोला दिनांक 19.01.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, (गढवाल), उत्तराखण्ड, पौंडी।
3. मुख्य वन संरक्षक, (कुमांऊ), उत्तराखण्ड, नैनीताल।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, कार्ययोजना वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
6. आई0टी0सेल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. जिला अधिकारी, उत्तरकाशी, टिहरी एंव देहरादून।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
9. जिला सूचना अधिकारी, उत्तरकाशी।
10. लीसा डिपो अधिकारी, ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
11. उप प्रभागीय वनाधिकारी, टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।
12. समस्त वन क्षेत्राधिकारी टौन्स वन प्रभाग को 10–10 अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस आशय से प्रेषित कि वें अपनी रेंजो के अन्तर्गत समस्त इच्छुक टेण्डरदाताओं को प्रतियां वितरित करें। इसका वृह्द प्रचार प्रसार अपनी रेंजों के अन्तर्गत करें।
13. इच्छुक लीसा ठेकेदार।
14. प्रभागीय कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

(सुबोध कुमार काला)
उप वन संरक्षक,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला।